न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– मोनिका बलारा (आर.ए.एस. प्रशिक्षु)

मुकदमा नम्बर :– 05/2016

उनवान

1. प्रभू लाल पुत्र कल्याणमल
2. लड्डू पुत्र कल्याणमल
3. मु0 भागली पत्नि स्व0 कल्याणमल
4. कैलाश पुत्र कल्याणमल जातियान मीणा निवासीयान ग्राम श्यामोता तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. छुट्टन लाल पुत्र बच्छराज
2. धोली लाल पुत्र बच्छराज
3. शांति पत्नि छुट्टन लाल जातियान मीणा निवासीयान ग्राम श्यामोता तहसील व जिला सवाईमाधोपुर
4. तहसीलदार, सवाईमाधोपुर।

–अप्रार्थीगण

विषय :– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट।

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

1. श्री राधेश्याम वैष्णव वकील प्रार्थीगण।
2. श्री अब्दुल वहाब वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायात 3

निर्णय **दिनांकः–05.10.2016**

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सेक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम श्यामोता तहसील व जिला सवाईमाधोपुर में स्थित खाता संख्या 78 में अंकित खसरा नम्बर 146 रकबा 0.19 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 984 रकबा 0.26 हेक्टेयर खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.65 हेक्टेयर खसरा नम्बर 1137 रकबा 0.36 हेक्टेयर प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है। प्रार्थीगण की भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जाकाश्त में

मु० नं० 05/2016 2) प्रभू लाल वगै० बनाम छुट्टन लाल वगै०

निरन्तर बाधा उत्पन्न करते है। दिनांक 26.02.2016 को प्रार्थी क्रमांक 1 व 2 अपनी भूमि पर खड़ी फसल की रखवाली कर रहे थे तो अप्रार्थी क्रमांक 1,2,3 हाथो में लाठी–गंडासी लेकर प्रार्थीगण की भूमि पर आकर मां–बहन की गाली–गलौच करने लग गये तथा प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा पाबन्द फरमाया जावें कि उक्त अराजीयात पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न अन्य से करवायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से जवाब पेश किया है, जिसमें अंकित किया कि प्रार्थीगण उक्त विवादित अराजीयात को बेच चुके है, इसलिए उनका विवादित अराजीयात से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी कैलाश ने अपने हिस्से की भूमि दिनांक 16.12.2006 को अप्रार्थी नम्बर 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दिया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 146, 147, 181, 756, 757, 984, 999, 1000, 1001, 1121, 1136, 1137, 961/2, 209/2 कुल किता 14 कुल रकबा 3.20 हेक्टेयर जिसमें प्रार्थी नम्बर 4 कैलाश का 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 780 रकबा 0.01 हेक्टेयर का हिस्सा 1/2 अप्रार्थी नम्बर 3 शांति व अप्रार्थी नम्बर 2 की पत्नि गल्लो ने खरीदी है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 147, 999 व 1000, 1001 कुल किता 4 कुल रकबा 0.95 हेक्टेयर में से कैलाश का सम्पूर्ण हिस्सा श्रीमति गल्लो ने व शेष रकबा 2.25 हेक्टेयर का सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 3 व चाह खसरा नम्बर 780 का हिस्सा दोनों ने बराबर–बराबर खरीद किया है, तभी से क्रेतागण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसी प्रकार प्रार्थी नम्बर 2 को जब रूपये की आवश्यकता हुई तो उसने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की साबिक भूमि खसरा नम्बर 390 रकबा 1 बीगा 17 विस्वा, जिसके नये खसरा नम्बर 983 रकबा 0.21 हेक्टेयर व खसरा नम्बर 984 रकबा 0.26 हेक्टेयर बने है। अप्रार्थी नम्बर 1 छुट्टन लाल को 85000 रूपये में बैचान कर दिया, जिसका एक इकरारनामा बैचान दिनांक 21.06.2002 को किया गया। उक्त इकरारनामा की प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के हक में रजिस्ट्री नहीं करवायी गई है। इसी प्रकार प्रार्थी नम्बर 1 को रूपये की आवश्यकता होने पर अप्रार्थी नम्बर 1 छुट्टन लाल को साबिक खसरा नम्बर 582 रकबा 2 बीगा 1 विस्वा का बैचान जरिये इकरारनामा दिनांक 19.06.2004 को किया गया, जिसके नवीन खसरा नम्बर 1136, 1137 बने है। इस प्रकार जब प्रार्थीगण अपने जमीन को बैचान कर चुके है तथा अप्रार्थीगण विवादित अराजीयात पर काबिज चले आ रहे है तो प्रार्थीगण अपने कथन से एस्टोप्ड है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने से खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी। प्रार्थीगण के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित वाकियात को दोहराया तथा कथन किया कि जब तक विवादित अराजीयात का तकासमा नहीं हो जाता तब तक बैचान जो किया गया है, वह अवैध तथा शून्य है। प्रार्थीगण की अराजीयात पर अप्रार्थीगण कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। अतः इन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द फरमाया

जावें। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित वाकियात को दोहराया तथा तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी अराजीयात का बैचान अप्रार्थीगण को कर देने के कारण तथा अप्रार्थीगण का विवादित अराजीयात पत्र कब्जा होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य से खारिज फरमावें। हमने उभयपक्ष के वकुलाय द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। खसरा नम्बर 146, 147, 1181, 1184, 757, 756, 984, 999, 1000, 1001, 1121, 1126, 1137, 1961/2, 209/2, कुल किता 14, कुल रकबा 3.20 हेक्टेयर का 1/4 भाग व खसरा नम्बर 780 रकबा 0.01 हेक्टेयर गैरमुमकिन चाहा का 1/12 भाग जो जरिये विक्रय पत्र कैलाश प्रार्थी नम्बर 4 द्वारा श्रीमति गल्लो पत्नि धोलीलाल व श्रीमति शांति पत्नि छुट्टन लाल को बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया है, जिसका इन्द्राज जमा बंदी सम्वत् 2069 से 2072 में भी हो चुका है। इस प्रकार जरिये विक्रय पत्र विवादित भूमि का बैचान हो चुका है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है, बल्कि सिविल न्यायालय को है। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा जमीन का बैचान किये जाने के आधार पर विवादित अराजीयात पर काबिज है। जैसा कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। क्योंकि राजस्व रिकोर्ड में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज हो चुकी है। जहां तक सुविधा का संतुलन का प्रश्न है यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। क्योंकि अप्रार्थीगण का कब्जा विवादित जमीन पर जरिये विक्रय पत्र प्राप्त किया है। रजिस्ट्री फर्जी है या नहीं इसका निर्णय सिविल कोर्ट से कराने के लिये प्रार्थीगण स्वतंत्र है। जहां तक अपूर्णीय क्षति का प्रश्न है यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है, बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। क्योंकि अप्रार्थीगण द्वारा विवादित अराजीयात प्रार्थीगण से खरीद की है। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार उक्त तीनों बिन्दू प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवादित अराजीयात खसरा नम्बर 146, 984, 1136, 1137 वाके ग्राम श्यामोता जो खाता संख्या 78 जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 तक अंकित है, के लिये खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2016 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर